राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, बरेली

लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम, संस्था समिति

POCSO - Protection of Children from Sexual Offences Act

पत्रांक: 391 /स्था०आदेश-सूचना/2026 दिनांक: 07.08.2026

॥ आवश्यक सूचना ॥

निदेशक महोदय, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. कानपुर के पत्रांक सं. 34588-91/जे.प्रशा.-109-विविध कानपुर दिनांक 06/11/2023 के अनुपालन में महिला एवं बाल विकास अनुभाग – 1 के पत्र संख्या-1038/60-1-2023 दिनांक 28/09/2023 द्वारा लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) 2023 तथा *लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण नियमावली 2023* के अंतर्गत जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुपालन में राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बरेली के पत्रांक 595-97/स्था.आदेश-सूचना/2023 के दिनांक 07.11.2023 को प्रधानाचार्य महोदया जी द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में संस्था स्तर पर गठित समिति के अंतर्गत, संस्था की समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि, **लैंगिक अपराधों से बालिकाओं का संरक्षण अधिनियम POCSO** हेतु संस्था स्तरीय गठित समिति द्वारा **प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार** को एक विशेष बैठक का आयोजन किया जाएगा।

समय (Time):	पूर्वाह्न 10:30 बजे
स्थान (Venue):	व्याख्यान कक्ष संख्या - 8 (Lecture Room No. 8)
अध्यक्षता (Chairperson):	प्रधानाचार्य महोदया
उपस्थिति (Attendees):	संस्था की समस्त छात्राएं एवं समिति के सभी सदस्य

उक्त बैठक प्रधानाचार्य महोदया की अध्यक्षता में तथा समिति के सभी सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य छात्राओं की यौन उत्पीड़न व् यौन शोषण सम्बंधी समस्याओं को सुनना एवं उनका समुचित समाधान निश्चित करना है। उक्त निर्धारित दिन के अतिरिक्त, संस्था छात्राएं किसी भी कार्यदिवस पर अपनी यौन उत्पीड़न व् यौन शोषण सम्बंधी समस्याओं हेतु संस्था समिति से संपर्क कर सकते हैं।

अतः संस्था की समस्त छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्येक माह के तृतीय शुक्रवार को नियत समय (पूर्वाह्न 10:30 बजे) लेक्चर रूम-8 में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

समिति सदस्यः

1. श्रीमती नेहा श्रीवास्तव (संस्था समिति अध्यक्ष)
2. श्रीमती प्रीति सिंह (संस्था सदस्य)
3. श्रीमती शर्मिला (संस्था सदस्य)

(नमिता वर्मा)
प्रधानाचार्य
राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, बरेली

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त विभागाध्यक्ष / व्याख्याताओ को इस आशय से प्रेषित कि अपनी कक्षाओं की छात्राओं को सूचित करें।
2. समस्त समिति सदस्यों को पालनार्थ।
3. नोटिस बोर्ड (संस्था परिसर एवं छात्रावास)।
4. कार्यालय फ़ाइल।
5. श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर अनुदेशक को इस आशय से कि संस्था की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(नमिता वर्मा)
प्रधानाचार्य